न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर सुलतानपुर

वाद संख्या : 18

अर्न्तगत धारा–143ज0वि0अधि0
ग्राम– कनेहटी,परगना–बरौंसा
तहसील–सदर, जिला–सुलतानपुर

प्रबन्धक हर्ष महाविद्यालय देहली बाजार

बनाम

राज्य सरकार

निर्णय

प्रबन्धक हर्ष महाविद्यालय देहली बाजार परगना बरौंसा तहसील व जिला सुलतानपुर ने इस आशय से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है कि गाटा संख्या 315मि0/0.565 हे0 स्थित ग्राम कनेहटी परगना बरौंसा का स्वामी है। किसी अन्य पक्ष से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। मौके पर सम्पूर्ण रकबा आबादी/अकृषिक हो गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान रखते हुए गाटा संख्या 315मि0/0.565 हे0 आबादी/अकृषिक घोषित किये जाने का आदेश पारित किया जाय। पत्रावली तहसील भेजकर आख्या प्राप्त की गई। तहसील आख्या पत्रावली में संलग्न है। तहसील आख्या में नियम 135(1) ज0वि0अ0एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के निर्धारित प्रारूप मय नक्शा नजरी विस्तृत आख्या प्रेषित किया गया है। पत्रावली मे उपलब्ध उद्धरण खतौनी सन् 1411 ता 1416फ0 के खाता संख्या 20 पर अंकित गाटों पर हर्ष महाविद्यालय देहली बाजार प्रबन्धक विकास शुक्ला का नाम अन्य सह खातेदारों के साथ संक्रमणीय भूमिधर अंकित है तथा तहसील आख्या में यह दर्शाया गया है कि सम्पूर्ण रकबा में स्कूल भवन व बाउन्ड्री बनी है तथा शेष रकबा अकृषिक रूप में महाविद्यालय के उपयोग में ली जाती है जो अकृषिक भूमि घोषित करने योग्य है।

मैने पत्रावली मे उपलब्ध तहसील आख्या, उद्धरण खतौनी सन् 1411 ता 1416फ0 के खाता संख्या 20, की गाटा सं0 315/0.7330 हे0 स्थित ग्राम कनेहटी परगना बरौंसा का अवलोकन किया। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वाद भूमि वादी को विक्रय पत्र से प्राप्त हुई है तथा अन्य खातेदारों के साथ संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित हैं। तहसील आख्या से स्पष्ट है कि गाटा संख्या गाटा संख्या 315मि0/0.565 हे0 में स्कूल भवन व बाउन्ड्री बनी है शेष भूमि खाली है और अकृषिक रूप में प्रयोग किया जाता है। मौके पर वाद भूमि में कृषि कार्य नहीं होता है। वाद भूमि आबादी/अकृषिक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार तहसील आख्या एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद भूमि में कृषि कार्य नहीं किया जाता है। मौके पर आबादी के रूप मे प्रयोग किया जाता है, जो कृषि बागवानी या पशुपालन जिसके अर्न्तगत मत्स्यपालन व कुक्कुट पालन भी है से संबंधित प्रयोजनों के लिए है काम मे लाये जा रहे हों और उन गाटों को इस प्रकार के प्रयोजन के लिए काम मे नही लाये जा रहे हों उसे आबादी/अकृषिक प्रख्यापित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः गाटा संख्या 315/0.7330 में से 315मि0/0.565 हे0 स्थित ग्राम कनेहटी परगना बरौंसा तहसील सदर, सुलतानपुर को आबादी/अकृषिक प्रख्यापित किया जाता है, जो उद्धरण खतौनी के आदेश की प्रवृष्टियों वाले कालम में अंकित किया जाय तथा आने वाली खतौनियों में अंकित होता रहेगा। तदनुसार उक्त गाटे को भूराजस्व से मुक्त किया जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली संचित अभिलेखागार हो। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उप निबन्धक सदर, सुलतानपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

दिनॉक : 31.03.2009

461
सुना
2104 14800775

(रामप्रकाश) 31/3/09
उप जिलाधिकारी सदर/
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी
सुलतानपुर

238
01-4-09
120
02-4-09
02-4-09
02/4/09

सत्य-प्रतिलिपि
पेशकार
उप जिलाधिकारी सदर
सुलतानपुर
02-4-09